भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2316

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

संवाद योजना - आदिवासियों और विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच

2316. श्री दामोदर अग्रवाल :
श्री काली चरण सिंह :
श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी :
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी :
श्री भोजराज नाग :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
डॉ. विनोद कुमार बिंद :
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवाद योजना, 2025 के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं,

(ख) यह योजना किस प्रकार सीमांत, वंचित आदिवासी और विमुक्त घुमंतू जनजातीय समुदायों, विशेषकर कर्नाटक में, के लिए विधिक जागरूकता, विधिक सेवाओं तक पहुंच और उनके परिदान को सुदृढ़ बनाती है ;

(ग) वर्ष 2025 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान, विशेषकर कर्नाटक में स्थापित संवाद इकाइयों, आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है ;

(घ) योजना के लिए अपनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा, रिपोर्टिंग समयसीमा और इसके विस्तार तथा क्षेत्र-विशिष्ट में न्याय प्रदायगी में अंतर को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित भविष्य की रूपरेखा क्या है ;

(ङ) आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का महाराष्ट्र से संबंधित विशिष्ट जानकारी सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कोई जिला या निर्वाचन क्षेत्र स्तर के हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है या उसे लागू किया गया है, और यदि हां, तो योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने और क्षेत्र-विशेष से जुड़ी न्याय प्रदान करने में खामियों

को समाप्त करने के लिए निगरानी तंत्र, रिपोर्टिंग समयसीमा और भविष्य की रूपरेखा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा अप्रैल 2025 में शुरू की गई नालसा संवाद (हाशिए पर रखे गए, कमजोर आदिवासियों और गैर अधिसूचित /असुरक्षित जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करना) स्कीम, 2025, अनुसूचित जनजातियों (एसटी), विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और गैर अधिसूचित/असुरक्षित जनजातियों (डीएनटी) के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है, जो विधिक उपायों और कल्याणकारी अधिकारों तक पहुंचने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना करते हैं।

इस स्कीम में जिला स्तर पर समर्पित संवाद इकाइयों की स्थापना, प्रत्येक तालुक में आदिवासी समुदायों की पहचान, वार्षिक कार्य योजना की तैयारी, आदिवासी क्षेत्रों से प्रशिक्षित पैनल वकीलों और परा-विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती और भूमि और वन अधिकार के विस्थापन, पुनर्वास, प्रलेखन, कल्याणकारी स्कीमों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध किया गया है।

(ख) और (ग) : यह स्कीम दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में विधिक जागरूकता और सेवाओं के परिदान में सुधार करने के लिए समुदाय-आधारित और आगे बढ़कर-संचालित करने का दृष्टिकोण अपनाती है। संवाद इकाइयां आदिवासी निवास में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, घर-घर बढ़ जाने, स्थानीय भाषाओं में विधिक साक्षरता सत्र, विधिक सेवा शिविर और ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थानों के साथ समन्वय का संचालन करती हैं। यह स्कीम प्रारंभिक विधिक हस्तक्षेप, दस्तावेज़ीकरण और पात्रता दावों में सहायता, और सरकारी कल्याणकारी स्कीमों तक पहुंच को सुगम बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में अंतिम छोर तक विधिक सेवाओं का परिदान सुनिश्चित हो सके। जिला स्तर पर 690 संवाद इकाइयाँ गठित की गई हैं। इससे राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से स्कीम का राष्ट्रव्यापी संस्थागत कवरेज संभव हो पाया है।

कर्नाटक के संबंध में, कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेंगलुरु ने सभी 31 जिलों में इस स्कीम को सफलतापूर्वक संचालित किया है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक नालसा संवाद द्विवार्षिक (अर्ध-वार्षिक) डेटा के अनुसार, राज्य ने सिद्दी, येरावा, हक्की पिक्की, गोंड, जेनु कुरुबा, कडु कुरुबा, सोलिगा और कोरगा सहित विविध आदिवासी समुदायों की पहचान की है। नुक्कड़ नाटक और घर-घर अभियान जैसे स्थानीय रीति के माध्यम से कुल 9680 लाभार्थियों

तक पहुँचते हुए 158 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वितरण सुनिश्चित करने के लिए, संवाद ढांचे के अधीन 60 पैनल वकीलों को नियुक्त किया गया है, और 120 परा-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) को जमीनी स्तर पर स्कीम के अधीन प्रशिक्षित और तैनात किया गया है।

(घ) : इस स्कीम के अंतर्गत एक संरचित निगरानी और रिपोर्टिंग ढांचा उपलब्ध कराया गया है, जिसके अधीन तालुक विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मानकीकृत प्रारूप में त्रैमासिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। इन रिपोर्टों को राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से लागू होने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नालसा द्वारा संकलित और पुनर्विलोकन किया जाता है। नालसा ने सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से समेकित द्विवार्षिक रिपोर्ट के लिए एक संशोधित रोडमैप भी जारी किया है।

भविष्य के रोडमैप में डेटा-संचालित निगरानी को मजबूत करना, संवाद यूनिट के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण,पीवीडीजी और डीएनटी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विस्तार से आगे बढ़ने और क्षेत्र-विशिष्ट न्याय वितरण अंतराल को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं।

(ङ) : महाराष्ट्र साल्सा के साथ आवंटित/जारी निधियों का राज्य-वार विवरण **उपाबंध-क** के रूप में दिया गया है।

(च) : संवाद स्कीम के अधीन जिला-स्तरीय हस्तक्षेप जलगांव लोकसभा क्षेत्र में कार्यान्वयन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), जलगांव द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, संवाद इकाई ने तालुक विधिक सेवा समितियों और आदिवासी समुदायों से आए परा-विधिक स्वयंसेवकों के सहयोग से, विधिक जागरूकता शिविरों, समुदाय की जरूरतों के आकलन और तालुक भर में आदिवासी निवास की पहचान के माध्यम से समन्वित रूप से आगे बढ़ाया है। हस्तक्षेपों में कल्याणकारी स्कीमो तक पहुंच की सुविधा, विधिक सहायता पैनल पर आदिवासी वकीलों की नियुक्ति और बुनियादी सेवा वितरण अंतराल को संबोधित करने के लिए संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय शामिल है।

जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित क्षेत्र-विशिष्ट न्याय वितरण अंतराल को संबोधित करने के लिए स्कीम के समान कार्यान्वयन, जवाबदेही और स्केलिंग को सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों को नालसा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समेकित और पुनर्विलोकन किया जाता है।

उपाबंध 1

'संवाद स्कीम– आदिवासियों और विमुक्त /घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2316 जिसका उत्तर 13.02.2026 को दिया जाना है,के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों प्राधिकरण का नाम	राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि सेवा से आवंटित और जारी किए गए अनुदान	उपयोग की गई राशि (04.02.2026 तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	27,00,000	15,56,383
2	आंध्र प्रदेश	2,95,00,000	2,31,04,250
3	अरुणाचल प्रदेश	7,60,00,000	4,78,58,028
4	असम	3,60,00,000	1,80,70,000
5	बिहार	7,25,00,000	5,83,00,000
6	चंडीगढ़	17,00,000	17,00,000
7	छत्तीसगढ	80,00,000	59,40,813
8	दिल्ली	14,25,00,000	11,44,69,262
9	गोवा	8,00,000	38,05,900
10	गुजरात	19,05,00,000	13,04,68,151
11	हिमाचल प्रदेश	2,75,00,000	40,70,525
12	हरियाणा	6,75,00,000	5,09,83,423
13	जम्मू-कश्मीर	6,60,00,000	3,61,73,870
14	झारखंड	12,75,00,000	7,74,86,858
15	कर्नाटक	8,30,00,000	5,80,65,927
16	केरल	11,80,00,000	11,14,30,000
17	लद्दाख	82,00,000	57,30,000
18	लक्षद्वीप	20,00,000	7,27,496
19	महाराष्ट्र	2,50,00,000	1,32,71,342
20	मणिपुर	6,70,00,000	4,20,57,621
21	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति	1,00,00,000	41,44,838
22	मेघालय	3,57,00,000	1,10,99,501
23	मिजोरम	7,90,00,000	5,98,61,275
24	नागालैंड	2,80,00,000	2,04,98,925
25	ओडिशा	3,90,00,000	3,19,30,040
26	पुदुचेरी	30,00,000	29,98,940
27	पंजाब	9,00,00,000	4,99,99,834
28	राजस्थान	8,00,00,000	3,42,43,119
29	सिक्किम	75,00,000	53,83,673
30	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	3,50,00,000	2,54,99,133
31	तमिलनाडु	90,00,000	62,93,778
32	तेलंगाना	60,00,000	48,96,742
33	त्रिपुरा	4,00,00,000	3,76,41,662
34	उत्तर प्रदेश	8,50,00,000	3,89,73,979
35	उत्तराखंड	8,50,00,000	6,50,00,000
36	पश्चिमी बंगाल	12,00,00,000	10,77,15,199
	कुल	**1,91,14,50,000**	**1,31,14,50,487**
